क्रम संख्या–102

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 30 जून, 2003 ई0
आषाढ़ 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 251/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 30 जून, 2003

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28 जून, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003
(अधिनियम सं0 14, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित :–

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) का निरसन

2–मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के बाद खण्ड (ङ) का जोड़ा जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के बाद नया खण्ड (ङ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा :–

"अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क)	कुलपति (सम्बन्धित कुलपति, सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्षेत्र हेतु)	अध्यक्ष
(ख)	दो विषय विशेषज्ञ (जिनका स्तर आचार्य/प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कम न हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, जिनमें एक आरक्षित वर्ग का होगा)	सदस्य
(ग)	प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(घ)	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य–सचिव

प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर चयन की प्रक्रिया पद रिक्त होने के कम से कम छः माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एवं विधिवत् चयन के उपरान्त चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति देना आवश्यक होगा।"

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1980) का निरसन

4–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को एतद्द्वारा उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित समझा जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation & Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 14 of 2003).

No. 251/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, June 30, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 28, 2003.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973) (ADAPTATION & MODIFICATIONS ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2003

(Act no. 14 of 2003)

To further Amend in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Adaptation & Modification Order, 2001) in the context of Uttaranchal State

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title, Commencement & Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation & Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may decide by notification in the Gazette.

(3) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

Repeal of the Section 31(4) (c) & (d) of the Principal Act

2. Section 31 (4) (c) & (d) of the Principal Act shall be hereby deemed to have been repealed.

Insertion of clause (e) after sub-section (4) of section 31 of the Principal Act

3. A new clause (e) shall be inserted after sub-section (4) of section 31 of the Principal Act, as follows :--

"The selection committee for the appointment of Principal and Lecturers in aided degree colleges shall consist of--

(a)	Vice- Chancellor (Concerned V.C. for Concerned University Area)	Chairman
(b)	Two subject experts (Nominated by V.C. not below the rank of Professor/ Principal of post graduate college, one of them shall be from reserved category)	Member
(c)	Chairman of Management Committee or member nominated by him	Member
(d)	Director Higher Education	Member-Secretary

The process of selection for the post of Principal and Lecturer shall begin at least six months before the vacancy arises and it shall be imperative on the management of the college concerned to give appointment to the duly selected Principal & Lecturer."

Repeal of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Act, 1980 (Act No. 16 of 1980)

4. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Act, 1980 shall be hereby deemed to have been repealed in the context of Uttaranchal State.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have or taken under this Act.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 विधायी / 188–2003–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।